ऑन लाईन न. RCMS 2018/00147

न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर०ए०एस०

विविध प्रार्थना पत्र सं० 10/2018

1. कुलदीप सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह, निवासी चक 28 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

राजस्थान सरकार

उपस्थित :

1. श्री मलकीयत सिंह नन्दा, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0

आदेश दिनांक : 05.04.2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य सक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक अपील राजस्व मण्डल अजमेर में (अपील संख्या 184/2002) अनवानी हरीश चन्द एवं कुलदीप सिंह बनाम राज. सरकार आदि पेश की गयी थी। जिसमें अदालत द्वारा दिनांक 15.01.2002 को श्रीमान जी द्वारा पारित फैसला को स्थगित कर दिया गया था। इसके उपरान्त बाद सुनवाई दिनांक 09.12.2013 को आदेश पारित करते हुये चक हाजा का मुरब्बा नम्बर 32 के 13.05 बीघा रकबा राज गलत दर्ज कर दिया गया थाश्श्श्श। फैसला के उपरांत उक्त रकबा राज को प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना जरूरी था जो तहसीलदार साहब द्वारा नहीं किया जा रहा है जिसके लिये प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र अदालतवाला में पेश करना पड़ रहा है। इससे पूर्व भी इसी प्रकरण में अदालत द्वारा विविध प्रकरण संख्या 29/2014 का फैसला दिनांक 27.12.2016 को कर दिया गया है जिसमें इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये थे। उपरोक्त प्रकरण में असेसी डोगर दास के खिलाफ कार्यवाही की गयी थी व श्रीमान जी द्वारा दिनांक 22.11.2001 को असेसी डोगर दास के पास 19.07 बीघा भूमि सरप्लस माने हुये अधिग्रहण करने के आदेश दिये गये थे, जिसके खिलाफ तीन अपीलें हुयी थी जो मंजुर की जाकर श्रीमान जी का फैसला दिनांक 22.11.2001 को निरस्त कर दिया गया था। असेसी डोगर दास के खिलाफ सिलिंग की कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दिया गया था। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 32 के 13.05 बीघा रकबा का इंतकाल प्रार्थी के नाम से किये जाने का आदेश पारित किया जावें।

प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। स्टेट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए । तहसील श्री विजयनगर व विधि प्रकोष्ठ से रिपोर्ट तलब की गई। मूल रेकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

कलक्टर (प्रशासन)
गंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय उनके पक्ष में हो चुका है। सरकार ने भी मा0 मण्डल के निर्णय के खिलाफ अपील नहीं करने का निर्णय लिया है। अतः मा0 मण्डल का निर्णय अंतिम हो जाने के कारण मा0 मण्डल के निर्णय की पालना में सीलिंग प्रकरण में उनकी अधिग्रहित की गई मुरब्बा नम्बर 32 के 13.05 बीघा रकबा का कब्जा जो बहक सरकार लिया गया था, को वापिस करते हुए राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के नाम से दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा सीलिंग अपील का निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में हो चुका है तथा शासन द्वारा विधिक परीक्षण के उपरांत आगे अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में मा0 राजस्व मण्डल का निर्णय अंतिम हो चुका है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि राजस्थान सरकार द्वारा असैसी भूमिधारी डोगर दास के विरूद्व पुराने सीलिंग कानून की धारा 15(2) राज0 कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 3–4–79 को प्रकरण खोला गया था, जो कम सं0 54/79 पर दर्ज हुआ था। इसी प्रकार असैसी भूमिधारी डोगर दास के विरूद्व नये सीलिंग कानून की धारा 15(1) राज0 कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 16–4–82 को प्रकरण खोला गया था, जो कम सं0 1/82 पर दर्ज हुआ था। बाद विधिवत् सुनवाई दोनों सीलिंग प्रकरणों का एक ही आदेश से दिनांक 22–11–01 को इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर 19 बीघा 7 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण अधिग्रहण के आदेश दिये गये थे।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22–11–01 के विरूद्व कुल तीन सीलिंग अपीलें मा0 राजस्व मण्डल अजमेर में दर्ज हुई। प्रथम सीलिंग अपील भूमिधारी डोगरदास के वारिसान द्वारा मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर में सीलिंग अपील सं0 8090/01 दायर की गई। द्वितीय सीलिंग अपील सं0 8091/01 भूमि खरीददारान प्रार्थीगण निरन्जनदास व जोगेन्द्रपाल द्वारा की गई है। तृतीय सीलिंग अपील 184/02 भूमिधारी डोगरदास के पोते हरीशचन्द व एक अन्य पक्षकार कुलदीपसिंह द्वारा की गई है।

माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उपरोक्त तीनों सीलिंग अपीलों का एक ही आदेश से दिनांक 9–12–13 को निर्णय पारित किया गया है। मा0 मण्डल के निर्णयानुसार अपील सं0 8090/01 स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.11.01 पुराने सीलिंग कानून बाबत निरस्त कर दिया गया है एवं असैसी के विरूद्व सीलिंग कार्यवाही समाप्त कर दी गई है। अपील सं0 8091/01 तथा 184/02 भी इसी अनुरूप निस्तारित की गई हैं।

माननीय मण्डल से निर्णय के उपरांत सीलिंग अभिलेख प्राप्त होने पर पत्रावली विधिक परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाई गई। विधि प्रकोष्ठ ने अपने पत्र कमांक एफ16(5)( )फौज/विप्र/2016/2650 दिनांक 13–7–16 द्वारा अवगत कराया है कि निर्णय दिनांक 22–11–01 के विरूद्व मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 9–12–13 के संबंध में सीलिंग विभाग से विधि परीक्षण के उपरांत अपील योग्य पर्याप्त आधार न होने पर मूल अभिलेख वापिस

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

लौटा दिया गया है। उक्त पत्र शासन के पत्र कमांक राजस्व (ग्रपु–8) विभाग कमांक प.8(18)राज/ग्रुप–8 /2014 जयपुर दिनांक 24–6–16 की पालना में जारी किया गया है। शासन के पत्र दिनांक 24–6–16 के अनुसार मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9–12–13 पर जिला कलक्टर एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा दी गई राय से सहमति व्यक्त करते हुए अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार सीलिंग विभाग द्वारा मा0 मण्डल के निर्णय के विरूद्व अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया, जिससे मा0 मण्डल का निर्णय दिनांक 9–12–13 अंतिम हो गया है।

सीलिंग में अधिग्रहित भूमि के संबंध में तहसीलदार, श्री विजयनगर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 2724 दिनांक 24.08.18 के साथ पटवारी की रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की है। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार चक 28 जी बी (बी) प0 सं0 174/424 कि0 नं0 18 ता 24 का 1.771 है0 नाली प्रथम मय खाला बैखे रिकॉर्ड अराजीराज दर्ज है। वर्तमान में उक्त रकबा पर कुलदीप सिंह पुत्र हरपाल सिंह कौम कम्बोजसिख सा. 28 जी बी (बी) अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। उक्त रकबा पर वर्तमान में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 09.12.2013 को उक्त रकबा को सीलिंग सीमा से बाहर मानते हुए निर्णय दिया है। प्रार्थी उक्त रकबा को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाना चाहता है।

विधि अनुभाग, कलक्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट कमांक एफ 16(5)( ) फौज/विप्र/2016/2650 दिनांक 13–7–16 द्वारा अवगत कराया है कि निर्णय दिनांक 22–11–01 के विरूद्व मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 9–12–13 के संबंध में सीलिंग विभाग से विधि परीक्षण के उपरांत अपील योग्य पर्याप्त आधार न होने पर मूल अभिलेख वापिस लौटा दिया गया। उक्त पत्र शासन के पत्र कमांक राजस्व (ग्रपु–8) विभाग कमांक प. 8(18)राज/ग्रुप–8/2014 जयपुर दिनांक 24–6–16 की पालना में जारी किया गया है। शासन के पत्र दिनांक 24–6–16 के अनुसार मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9–12–13 पर जिला कलक्टर एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा दी गई राय से सहमति व्यक्त करते हुए अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार सीलिंग विभाग द्वारा मा0 मण्डल के निर्णय के विरूद्व अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया जिससे मा0 मण्डल का निर्णय दिनांक 9–12–13 अंतिम हो गया है।

इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर का निर्णय दिनांक 9–12–13 द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 22–11–01 निरस्त कर दिया गया है तथा शासन के पत्र कमांक राजस्व (ग्रपु–8) विभाग कमांक प.8(18)राज/ग्रुप–8/2014 जयपुर दिनांक 24–6–16 के अनुसार मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9–12–13 पर जिला कलक्टर एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा दी गई राय से सहमति व्यक्त करते हुए अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार सीलिंग विभाग द्वारा मा0 मण्डल के निर्णय के विरूद्व अपील नहीं करने का निर्णय लिये जाने के कारण प्रार्थीगण कुलदीप सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह, निवासी चक 28 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

फलस्वरूप, प्रार्थीगण कुलदीप सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह, निवासी चक 28 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा चक 28 जी बी (बी) प0 सं0 174/424 कि0 नं0 18 ता 24 का 1.771 है0 रकबा कुलदीप सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह, निवासी चक 28 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर को सीलिंग में अधिग्रहित की गई भूमि का कब्जा वापिस प्रार्थी कुलदीप सिंह को लौटाये जाने एवं राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के नाम से प्रविष्टि किये जाने जाने के आदेश दिये जाते हैं।उक्त आदेश किसी भी माननीय न्यायालय से होने वाले भावी आदेश के अध्यधीन रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, श्री विजयनगर को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भूवानी सिंह पंवार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर